रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 20, 1995/फाल्गुन 1, 1916
No. 31] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 20, 1995/PHALGUNA 1, 1916

श्रम मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1995

सं० यू–23013/01/95–एल डब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रिट याचिका सं० 2991/1994 में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के दिनांक 21-11-1994 के आदेश के अनुसरण में, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा महाराष्ट्र के जिला—रायगढ़ में द्रोणागिरि, न्हावे स्थित कन्टेनर फ्रेट स्टेशन में कन्टेनर की हैन्डलिंग करने, माल भराई करने, माल उतारने और कंटेनर के परिवहन के कार्य (इसके बाद इसे ठेका कार्य कहा जाएगा) में ठेका श्रम को समाप्त करने से संबंधित विषय की जांच करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन करती है।

2. समिति का संगठन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

(1) चौ० शशि भूषण राव, सदस्य
महासचिव,
राष्ट्रीय भारतीय रेलवे महासंघ,
द्वारा एस०आर० रेलवेमेन्स यूनिट–2,
गार्डन रोड, कलकत्ता

(2) श्री आर०ए०पी० सिंह, सदस्य
निदेशक (पी एण्ड आई आर)
कोल इंडिया लि०,
10–नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता–700001

(3) उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), सदस्य–संयोजक
भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान,
काम्पलैक्स, एल०बी०एस० मार्ग०
कुरला (प०),
बम्बई–400070

विचारार्थ विषय

"महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ में नवाशिवा में द्रोनागिरि, नोडे स्थित केन्द्रीय वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के कन्टेनर फ्रेट स्टेशन में कन्टेनर की हैंडलिंग करने, माल भराई करने, माल उतारने और कंटेनर के परिवहन से संबंधित कार्य में ठेका श्रम पद्धति के क्रियाकलाप का अध्ययन करना और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए इस बात के लिए समुचित सिफारिश करना कि क्या महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ में द्रोनागिरि नोडे स्थित उक्त कंटेनर फ्रेट स्टेशन में ठेका श्रम के नियोजन को समाप्त कर दिया जाए अथवा नहीं।"

3. समिति का मुख्यालय बम्बई में होगा। समिति अपनी रिपोर्ट हर हाल में तीन महीने के अन्दर देगी।

एस०एस० शर्मा, महानिदेशक (श्रम कल्याण),
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

RESOLUTION

New Delhi, the 20th February, 1995

No. U-23013|1|95-LW.—In exercise of power conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) and in pursuance to the order of 21-11-1994 of the Hon'ble Bombay High Court in Writ Petition No. 2991 of 1994, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Tripartite Committee to go into the question of abolition of contract labour in the work of handling, stuffing, destuffing and transportation of containers to and from the Container Freight Station (C.F.S.) Dronagiri, Node in Raigad District (hereinafter the said work) Maharashtra.

2. The composition of the committee and its terms of reference will be as under :—

(1) Ch. Shashibhushana Rao,
Central Secretary, National Federation
on Indian Railways,
C|o S. R. Railwaymen's Unit-2,
Garden Reach, Calcutta. —Member

(2) Shri R. A. P. Singh,
Director (P&IR),
Coal India Ltd.,
10—Netaji Subhash Road,
Calcutta-700001. —Member

(3) Deputy Chief Labour Commissioner (C),
Indian Institute of Workers'
Education Complex, Lal Bahadur
Shastri Marg, Kurla (W),
Bombay-400070. —Member-Convenor

Terms of Reference

"To study the working of contract labour system in the work of handling stuffing, destuffing and transportation of containers to and from the Container Freight Station (C.F.S.) of the Central Warehousing Corporation at Dronagiri, Node in Nhava Sheva, Raigad district of

Maharashtra and keeping in view of the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, to make suitable recommendation whether or not the employment of contract labour in the said Container Frieght Station at the Dronagiri Node, Nhava Sheva District Raigad, Maharashtra should be prohibited."

3. The headquarters of the Committee will be at Bombay. The Committee would submit its report within three months without fail.

S. S. SHARMA, Director General (Labour Welfare)|Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995